राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

प्र०/ R-4063-II/12

महिला श्रीबाई पत्नि श्री केमदास यादव
निवासी ग्राम सेमरखेरा तह० जतारा
वर्तमान तहसील मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ म.प्र.

..निगराकार

बनाम

1. रामचरन गड़रिया तनय मोहन गड़रिया
2. महिला छिलिया बाई बेवा मोहन
3. रामप्रसाद, तनय मोहन गड़रिया
4. भागीरथ तनय मोहन गड़रिया
5. महिला जसोदा बेवा सरूवा
6. महिला मनकू पत्नि श्रीपत गड़रिया
7. कुन्ना तनय परम गड़रिया
8. महिला जमना बाई पुत्री रतिया गड़रिया
9. महिला हल्की बाई पुत्रि रतिया गड़रिया
10. निवासी सेमरखेरा तह० मोहनगढ़ जिला टीकमगढ़ म.प्र.

10 महिला शीलाबाई पत्नि राजाराम यादव
11. महिला कलन पत्नि मोहन यादव निवासी चकरा तह० व जिला टीकमगढ़ म.प्र.

..प्रतिनिगराकारगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा.सं. प्रतिकूल निर्णय अधीनस्थ न्यायालय एस.डी.ओ. जतारा के रा०प्र०क्र0570/अपील/2009-10 मे पारित आदेश दिनांक 26/12/2011 से परिवेदित एवं दुखित होकर।

महोदय,

निगराकार की विनय सादर प्रस्तुत है:

1. यह कि माननीय अनुविभागीय अधिकारी जतारा का आलोच्य आदेश दिनांक 26/12/2011 रिमाइन्ड आदेश था। ततसमय म.प्र. भू.रा.सं. 1959 के अनुसार उक्त आदेश निगरानी योग्य था। उक्त आदेश की प्रति दिनांक 28/

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.-4063-दो/2012

जिला-टीकमगढ़

महिला श्रीबाई विरूद्ध रामचरन आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-01-2019 28/01/19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आई.पी. द्विवेदी उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी जतारा, जिला-टीकमगढ़ के क्रमांक 570/अपील/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 26-12-2011 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 29-11-2012 को मुख्यालय ग्वालियर में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवतत होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस	

न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर, के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

28/01/19

(आर.के. जैन)

सदस्य